कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- pccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813

झारखण्ड सरकार

पत्रांक :– 01 / यो0ब0 –24 / 2015- 264 दिनांक :– 27.03.2019

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
वन्यप्राणी प्रमंडल, राँची।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2018–19 में झारखण्ड राज्य जैव विविधता पर्षद को अनुदान योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अन्तर्गत 150.00 लाख (एक करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र की राशि का ऑन–लाईन उप आवंटन।

प्रसंग :– वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–07 / यो0बजट–40 / 2014–58 / स्वी0 व0प0 दिनांक 28.02.2019 एवं आवंटन आदेश संख्या–07 / यो0 बजट–40 / 2014–114 / आ0 व0प0 दिनांक 26.03.2019।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2018–19 में झारखण्ड राज्य जैव विविधता पर्षद को अनुदान योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अन्तर्गत **कुल रु0 150.00 लाख (एक करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र** की स्वीकृति प्राप्त राशि का ऑन–लाईन उप आवंटन उपर्युक्त वर्णित वन विभागीय स्वीकृत्यादेश एवं आवंटन आदेश के आलोक में लघुशीर्ष / इकाईवार राशि निम्नवत उप–आवंटित किया जाता है :–

(राशि लाख में)

क्र0 सं0	शीर्ष का नाम	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	आवंटित राशि
1	"2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप–मुख्य शीर्ष 01–वानिकी, लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष 53 झारखण्ड राज्य जैव–विविधता पर्षद को अनुदान योजना"	79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर–वेतन) इकाई	19S240601796530679	150.000
	कुल आवंटित राशि			**150.000**

ऑन–लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–1** पर संलग्न है।

27/3

2. वर्त्तमान आवंटित राशि **150.00 लाख (एक करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र** की प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन है तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 में झारखण्ड राज्य जैव विविधता पर्षद को अनुदान योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) बजट मुख्य शीर्ष 2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप–मुख्य शीर्ष 01–वानिकी, लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष 53–झारखण्ड राज्य जैव–विविधता पर्षद को अनुदान योजना'' विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान के अन्तर्गत 79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर–वेतन) इकाई में विकलनीय होगा।

3. सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य जैव–विविधता पर्षद द्वारा प्राप्त राशि का व्यय, लेखा–संधारण, अंकेक्षण, राशि का प्रत्यर्पण आदि वित्तीय प्रक्रियाओं का अनुपालन सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय मापदंड/निदेश के अनुसार किया जायेगा।

पर्षद को दी गई राशि/अनुदान राशि का अनुश्रवण एवं नियमानुसार समुचित कार्रवाई करने का दायित्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी–सह–मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची का होगा।

4. इस राशि का व्यय झारखण्ड राज्य जैव–विविधता पर्षद के प्रशासी निकाय द्वारा राज्य जैव–विविधता पर्षद की अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुरुप किया जाएगा। योजनाओं का क्रियान्वयन प्रशासी निकाय से स्वीकृत करने के उपरांत सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाएगी तथा अभिलेख हेतु एक प्रति प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची के कार्यालय में समर्पित की जाएगी।

5. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों के अनुसार की जाएगी तथा निर्माण कार्यों का कार्यान्वयन नियमानुसार निविदा के आधार पर किया जायेगा।

6. प्रस्तावित कार्यों के लिए किसी भी अन्य स्त्रोत से करने के लिए राशि की मांग नहीं की जाएगी। यह जिम्मेवारी सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य जैव–विविधता पर्षद की होगी।

7. कुल राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जाएगा तथा राशि पी0एल0 खाता में संधारित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

8. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमंडल, राँची होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

21/7

9. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरुप किया जायगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरुप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अन्तर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जानेवाली राशि का भुगतान मजूदरों के बैंक खाते/ड़ाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक–1204 दिनांक–20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य जैव–विविधता पर्षद के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उनके लिए वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय–2561 दिनांक–17.04.1998 एवं समय–समय पर एतद् संबंधी निर्गत परिपत्रों के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास से आवंटन प्राप्त होने के उपरांत की जायेगी।

14. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जाएगा।

15. परियोजना के कार्यान्वयन में अनुदानित राशि का व्यय संगत वित्त नियमावली के आलोक में वास्तविकता के आधार पर किया जाएगा, जो स्वीकृत राशि के अन्तर्गत होगी तथा राशि का विचलन किसी अन्य कार्य में नहीं किया जाएगा एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र समर्पित करना होगा।

16. स्वीकृत योजना सफल कार्यान्वयन तथा ससमय उपयोगिता प्रमाण–पत्र सरकार को समर्पित करने का उत्तरदायित्व सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य जैव–विविधता पर्षद पर होगा।

27/7

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य जैव–विविधता पर्षद द्वारा मासिक भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि प्रतिवेदन तथा वार्षिक प्रतिवेदन–सह–उपयोगिता प्रमाण–पत्र वन एवं पर्यावरण विभाग तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराया जायेगा एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र की प्रति अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य जैव–विविधता पर्षद को समर्पित की जायेगी।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक :– यथोक्त।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :–01/यो0ब0 –24/2015- 264 दिनांक :– 27-03-2019

प्रतिलिपि–अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/सदस्य सचिव, झारखण्ड जैव–विविधता पर्षद, झारखण्ड, राँची/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
अनुलग्नक :– यथोक्त।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :–01/यो0ब0 –24/2015- 264 दिनांक :– 27-03-2019

प्रतिलिपि– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक :– यथोक्त।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

दिनांक - 27-Mar-2

पत्र संख्या - 01/YB-24/2015/264

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796530679 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 53 - राज्य जैव विविधता पर्षद को अनुदान 06 - अनुदान 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) **State Scheme**	106264	DRNFWL049 RAJIV RANJAN DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI	15,000,000.00 रुपये एक करोड पचास लाख

State Scheme : GRANT-IN-AID TO JHARKHAND STATE BIO-DIVERSITY BOARD(0626)

Centeral Scheme : NA

योग: 15,000,000.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड पचास लाख

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

Run Date: 27/3/2019